LOK SABHA

Thursday September 1, 1966/Bhadra 10, 1888 (Saka).

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब के कृषकों का पुनर्वास

+

*778. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में 3.5 लाख एकड़ भूमि हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से विस्थापित हुए कृषकों के पुनर्वास के लिए पृथक्-रक्षित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य क्षेत्रों में भी विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि को पृथक्-रक्षित करने का है ?

The Minister of State in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) An area of about 3.25 lakh acres of land is proposed to be set apart in the Rajasthan Canal area by Rajasthan Government for the resettlement of oustees from Punjab and Himachal Pradesh.

(b) No, Sir.

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन का किस अनुपात से उन लोगों में बटवारा होगा ?

Dr. K. L. Rao: In the Rajasthan Canal area, most of the area is not inhabited. People who will be ousted from the area of the Pong Dam and other projects connected with the Rajasthan Canal will be given land there. Besides, some more land will of course be given to these people from Rajasthan and other parts of the country.

Shri Bibhuti Mishra: My question is not that. I asked about the proportion.

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : अभी इस का फैसला नहीं हुआ है, अभी तो यह दो सरकारों में फैसला है कि कितनी जमीन राजस्थान सरकार दे सकती है, इसकी इत्तिला पंजाब गवर्नमेंट को दी जायगी और उस के बाद पंजाब गवर्नमेंट यह देख कर कि कितनी जमीन हर एक काश्तकार को दी जायगी, इस का फैसला करेगी । इसी की बाबत मैं मेम्बर साहब को यह बतलाना चाहता हूं कि अभी जो एक नई बात का जिक्र राजस्थान के चीफ़ मिनिस्टर ने किया है, वह मामला एक्सपर्ट कमेटी को दे दिया गया है, सितम्बर के आखिर में जब उसका फैसला होगा तब यह सवाल आयेगा कि इतनी जगह की रिहैबिलिटेशन के लिए जरूरत है या नहीं।

श्री विभूति मिश्र : जिनको पुनर्वास के लिए यह जमीन दी जायगी, उन को सरकार

और कौन कौन सी मदद देगी ताकि वे इस ज़मीन पर ठीक से फसल पैदा कर सकें ?

श्री फख्रुद्दीन अहमद : जब ज़मीन दी जायगी तो वहां पानी का इन्तज़ाम होगा, रास्ते का इन्तज़ाम होगा, स्कूल वगैरह का इन्तज़ाम होगा ।

श्री क० ना० तिवारी : अभी मंत्री जी ने बताया कि इन विस्थापितों का मामला एक कमेटी को रेफर किया गया है तथा दोनों सरकारों से बातचीत हो रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इसकी टर्म्ज़ आफ रेफ़रन्स क्या हैं और कब तक यह बात तय हो जायगी, जिससे इन लोगों को सुविधा मिल सके और उनको ज्यादा तकलीफ न हो ?

श्री फख्रुद्दीन अहमद : अभी जो मीटिंग हुई थी उस में राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि बजाय एक्सेटेन्सिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ के इन्टैन्सिव इरिगेशन फैसिलिटीज़ दी जायें तो इस से ज्यादा लोगों को फायदापहुंच सकता है और प्रोडक्शन बढ़ सकती है और उन्होंने कुछ स्कीम्ज़ भी बतलाई थीं , जो कि हम ने एक्सपर्ट कमेटी को दी हैं और वह उनकी जांच कर रही है । इस महीने के आखिर में जब रिपोर्ट आयेगी, तब यह फैसला किया जायगा कि कितनी दूर तक राजस्थान कैनाल को लाया जायगा और आया इस इन्टेन्सिव स्कीम के मुताबिक काम किया जाय ।

श्री काशी राम गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान के चीफ़ मिनिस्टर ने एक नई योजना दी है । पहली योजना में 50 लाख एकड़ का प्रश्न पैदा होता था अब यह जो योजना दी है, इस के तहत जो रकबा या क्षेत्रफल कम होगा और उस के आधार पर जो पानी दिया जायगा तो क्या उस से हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों के लिए जो साढ़े तीन लाख एकड़ जमीन रखी गई है, उस पर भी असर आयेगा और ऐसी सूरत में उन को कहां बसाया जायगा ।

Dr. K. L. Rao: Actually, the modification the Chief Minister of Rajasthan has suggested will result in getting in the first phase itself nearly 22 lakh acres out of 29 lakh acres. It will hasten the utilisation of the waters in the Rajasthan Canal.

श्री काशी राम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । इस के कारण से जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लोगों को साढ़े तीन मिलियन एकड़ ज़मीन देनी है, क्या उस में कोई फर्क नहीं आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने जवाब दे दिया है, एक्सेटेन्सिव के बजाय इन्टेन्सिव इरिगेशन पर विचार किया जा रहा है ।

श्री काशी राम गुप्त : लेकिन इसका क्या उन पर असर आयेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो पड़ेगा ।

Dr. K. L. Rao: I may submit that 3.25 lakh acres have been agreed to between Punjab and Rajasthan for giving to these oustees from these projects. As a result of the intensity of irrigation—earlier it was estimated at 78 per cent; now it is going to be increased to 100 per cent or more—it is very likely that some area may be reduced, but the extent thereof has got to be determined still.

श्री बूटा सिंह : यह जो पौंग डम और दूसरे डैमों की वजह से जो किसान और भूमिहीन खेतीहर मजदूर उजड़े हैं, उनकी संख्या क्या है और सरकार जिनको बसाने जा रही है, क्या उन में खेतीहर भूमिहीन मजदूर भी शामिल हैं ?

श्री फख्रुद्दीन अहमद : उस में किसान तो ज़रूर ही हैं, लेकिन उन के साथ साथ

जी लेवर है, जिनके पास जमीन नहीं है, उन का भी उस में ख्याल रखा गया है।

श्री बूटा सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन को जमीन मिलेग.

अध्यक्ष महोदय : "ख्याल रखा गया है" इस का मतलब क्या होता है।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसी योजना मैं बिहार के विस्थापितों के अनुभव के आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि यह धनराशि जिसका आपने अभी जिक्र किया है, यह अन्तरिम ग्रान्ट है या सरकार ने अपने ऊपर यह भार ले लिया है कि इस नहर योजना से जो विस्थापित होंगे उनको रिहैबिलिटेट करने का पूरा इन्तजाम किया जायगा ?

श्री फखरुद्दीन अहमद : जहां तक इनके रिहैबिलिटेशन का सवाल है, यह मामला इन दोनों सरकारों—पंजाब और राजस्थान—के दरमियान है। इसके लिये कोई यूनीफार्म पोलिसी नहीं बनाई जा सकती। जहां जहां जैसे सवाल उठेंगे, उसी के मुताबिक सोचा जायगा।

Shri D. J. Naik: I want to know whether any amount will be spent out of the National Defence Fund to rehabilitatate those people who have been displaced on account of the war with Pakistan.

श्री फखरुद्दीन अहमद : उसका कोई सवाल नहीं है।

श्री बागड़ी : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने परिवार पंजाब और राजस्थान में इस स्कीम के तेहत उखाड़े जायेंगे और फिर इनके लिए जो जमीन ली जायगी, उस के ऊपर अगर पुराने काश्तकार होंगे तो क्या उनको हटा कर इन को बैठाया जायगा, अगर उनको उजाड़ा जायगा तो उनके बसाने की क्या व्यवस्था की जायगी ?

Dr. K. L. Rao: The total number of oustees under the Rajasthan Canal Project, taking all the four components of the project together, is about 35,000 and all these people will be naturally rehabilitated.

Shrimati Savitri Nigam: As you are aware, it has been our unfortunate experience that because of administrative delays and indecisiveness on the part of the Government, most of the time these uprooted farmers have always suffered a lot. I would like to know what precaution Government is going to take this time to see that the farmers are given not only land but also other facilities to get themselves rehabilitated properly?

Shri Fakruddin Ahmed: As I have already pointed out, all the necessary facilities in the matter of provision of drinking water, provison of roads, schools, hospitals, all these things will be provided.

श्री बागड़ी : क्या दोनों मंत्रियों के बयान मुतजाद नहीं हैं। सरदार बूटा सिंह ने पूछा था कि क्या दोनों को बसाया जायगा, राव साहब ने सिर्फ किसानों के लिए कह दिया है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहूंगा कि इस योजना की वजह से राजस्थान नहर परियोजना में 100 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है और जो जमीन विस्थापितों को बसाने के लिए थी, वह भी इस में आ गई है, तो क्या राजस्थान के जो भूमिहीन किसान हैं उन पर इस 100 करोड़ रुपये की कटौती का असर पड़ेगा, अगर नहीं तो उनको कहां जमीन दी जायगी।

श्री फखरुद्दीन अहमद : उन पर असर नहीं पड़ेगा ।

Shri Hem Raj: May I know whether it is a fact that the 100 families who are going to be displaced by the Pong Dam within two months have not been provided land in Rajasthan and no decision has been taken so far regarding the landless labour which is going to be displaced from that area?

Dr. K. L. Rao: Actually, all the details have been worked out, it is just awaiting final touches. In fact, we are very anxious to see that these oustees are settled as early as possible because we are having two canals which will supply irrigation water in the course of the next few months.

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग का कर्मचारी संघ

+

*779. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
श्री प० कुन्हन :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री सोलंकी :
श्री नारायण वांडेकर :

क्या **वित्त मंत्री** भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई भूख हड़ताल के बारे में 9 मार्च, 1966 को दिये गये अपने वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा कर्मचारी संघ के रांची में हुए सम्मेलन का प्रतिवेदन इस बीच प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दिये गये आश्वासन के अनुसरण में नियन्त्रक तथा महा लेखा परीक्षक को इस संघ को मान्यता देने की सिफारिश की है; और

(ग) इस बारे में नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था : लेकिन नियंत्रक महालेखापरीक्षक को सलाह दी गई थी कि संघ और उसके पदधारियों के साथ वस्तुतः मान्यता के आधार पर व्यवहार किया जाय क्योंकि अभी ऐसे कोई नियम नहीं हैं जिनके अन्तर्गत औपचारिक मान्यता दी जा सके ।

(ग) नियंत्रक महालेखापरीक्षक गृह-मंत्रालय के साथ सलाह करके मामले पर विचार कर रहे हैं । उन्होंने संघ को भी लिख दिया है कि उसे वस्तुतः मान्यता दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

The hon. Minister just now said that no such assurance was given. May I invite your kind attention to the assurance given by the hon. Finance Minister in reply to a calling attention notice on 9th March, 1966.